न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 321 तीन/2007 निगरानी – विरूद्ध – आदेश दिनांक 20–12–2006 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्र.क. 563/2005–06 अपील

1– शक्करवती पुत्री रामसेवक सेन
ग्राम भडौल तहसील सेवढ़ा जिला दतिया
2– लक्ष्मीनारायण पुत्र रामदास सेन निवासी
बार्ड क–3 सेवढ़ा जिला दतिया म.प्र. ----आवेदकगण

विरूद्ध

1– चन्द्रप्रकाश 2– रामहेतु पुत्रगण द्वारकाप्रसाद
निवासी सेंगरों का मुहल्ला सेवढ़ा जिला दतिया ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 11 – 10–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 563/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–12–2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा सेवढ़ा की भूमि सर्वे कमांक 708/1 एंव 748 कुल किता 2 कुल रकबा 0.922 हैक्टर के भाग 1/2 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के भूमिस्वामी बटई पुत्र रामसेवक थे, जिनकी मृत्यु उपरांत अनावेदकगण ने बसीयत के आधार पर नामान्तरण का आवेदन तहसीलदार सेवढ़ा को प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 27 अ–6/2001–02 पॅजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 24–7–2003 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर आवेदक क–1 का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा

के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा ने प्रकरण कमांक 10/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-2-2004 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 24-7-03 निरस्त किया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर पुनः आदेश पारित किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के आदेश दिनांक 24-2-2004 के कम में तहसीलदार सेवढ़ा के समक्ष नामान्तरण आवेदन आने पर नवीन प्रकरण कमांक 32/2005-06 अ-6 पर पॅजीबद्ध किया गया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 11-3-2005 पारित करते हुये तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि पर मृतक खातेदार के स्थान पर बसीयत के आधार पर अनावेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, सेवढ़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा ने प्रकरण कमांक 96/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-6-2006 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 11-3-2005 निरस्त कर दिया तथा तहसीलदार के पूर्वादेश दिनांक 24-7-2003 को मानते हुये वादग्रस्त भूमि पर आवेदक कमांक-1 का नामान्तरण स्वीकार करते हुये उसके व्दारा आवेदक क-2 के हित में किये गये विक्रय पत्र की बैधानिक स्थिति मान्य की। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के आदेश दिनांक 21-6-2006 के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 563/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-12-2006 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेश निरस्त कर दिये तथा तहसील न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि पुनः सभी हितबद्ध पक्षकारों को साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणदोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावे। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि यदि अपर आयुक्त के मत में एस.डी.ओ. का आदेश त्रृटिपूर्ण था तब उन्हे प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु एस.डी.ओ, को प्रत्यावर्तित करना था किन्तु उन्होंने बिना पर्याप्त आधारों के तहसीलदार एंव एस.डी.ओ. के समस्त आदेशों को गलत तरीके से निरस्त करके प्रकरण तहसीलदार न्यायालय में पक्षकारों की पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करने में भूल की है क्योंकि इससे पक्षकार परेशान होंगे एंव समय की बर्बादी होगी। अनावेदकगण मृतक भूमिस्वामी के बसीयतग्रहीता नहीं है ऐसी कोई बसीयत मृतक भूमिस्वामी ने नहीं की है वरण आवेदक कमांक 1 मृतक की निकटतम

वारिस है एंव वारिसान के रहते हुये बसीयत निष्प्रभावी रहती है। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त करने एंव अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के आदेश दिनांक 21-6-2006 को यथावत् रखे जाने की मांग की।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को के कम में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 563/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-12-2006 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त ने आदेश के अंतिम पद में इस प्रकार अंकित किया है :-

> ** अतएव अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समस्त आदेश अपास्त किये जाते हैं और प्रकरण तहसील न्यायालयच को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह पुनः सभी हितबद्व पक्षकारों को साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुण दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावे। **

प्रकरण में आये सभी तथ्यों पर विचार करने पर पाया गया कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 20-12-2006 से किसी भी पक्ष को हानि नहीं है क्योंकि तहसील न्यायालय में दोनों पक्षों को अपनी अपनी लेखी/ मौखिक साक्ष्य एंव अन्य प्रकार की साक्ष्य रखने का उपचार प्राप्त है जिनके आधार पर तहसीलदार सही निर्णायक स्थिति पर पहुंच सकेगा, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 563/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-12-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर